राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/74

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	30/2024	15/2/2024	—	18/3/2024

अनवान

श्री दुर्गाशंकर S/o खेमा मीणा

निवासी नयानगर तह बिजौलियाँ

वार्ड (2)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

श्री जगदीश S/o प्रभूलाल भील

निवासी फतेहनगर तह. बिजौलियाँ

वार्ड (7)

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज अदालत , उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

पुष्पशंकर बनाम जगदीश

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 30 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2 /2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 18/03/2024 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/4/24 वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
2/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 4/4/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद-तामील अनुपस्थित। बाद-तामील को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (मुहर: कार्यालय उप खण्ड अधिकारी ... (राज.)) (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :— 30/24 तारीख 15/2/24

अनवान

01. दुर्गाशंकर पुत्र खेमा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मीणा का मोहल्ला नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. जगदीश पुत्र प्रभुलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सांवरलमल पुत्र मदन जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कंकु देवी पत्नि बालु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. काना पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. जितेन्द्र कुमार पुत्र बालु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. प्यारा पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :— दिनांक 4/4/24

प्रार्थना पत्र **दुर्गाशंकर पुत्र खेमा जाति मीणा निवासी मीणा का मोहल्ला नयानगर, भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 1000/276 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी संख्या 999/276 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि सामलाती** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 1000/276 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी संख्या 999/276 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि सामलाती** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 30/24 तारीख 15/2/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....30/24..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. दुर्गाशंकर पुत्र खेमा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मीणा का मोहल्ला नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. भैरूलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. जगदीश पुत्र प्रभुलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सांवरलमल पुत्र मदन जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कंकु देवी पत्नि बालु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. काना पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. जितेन्द्र कुमार पुत्र बालु जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. प्यारा पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 121 पर अंकित आराजी संख्या 1000/276 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी संख्या 999/276 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.8337 हैक्टेयर भूमि सामलाती** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा